न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या जीसीएमएस नम्बर 2024/682

1. अमीचन्द पुत्र श्री जयमल
2. ख्यालीराम पुत्र सोहनलाल
3. गुलाब पुत्र जयमल
4. झाबर पुत्र सोहनलाल
5. लीलाराम पुत्र सोहनलाल
6. सुण्डाराम पुत्र जयमल
7. हरपाल पुत्र सोहनलाल
8. सोहनलाल पुत्र लादूराम
9. हट्टाराम पुत्र लादूराम
10. बोदाराम पुत्र लादूराम
11. रामजीलाल पुत्र लादूराम
12. धल्लाराम पुत्र लादूराम
13. जयमल पुत्र लादूराम
14. रामशरण पुत्र हट्टाराम
15. दिलीप पुत्र हट्टाराम
16. राजेश पुत्र हट्टाराम
17. कमली पत्नी हट्टाराम
18. मिश्री पत्नी सोहनलाल
19. छोटी देवी पत्नी हरपाल
20. धोली पत्नी लीलाराम
21. काली पुत्र सोहन
22. सुरता देवी पत्नी धल्लाराम
23. रामेश्वरी पत्नी जयमल

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम चांदपुरी तहसील नारायणपुर जिला अलवर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. कल्ली देवी पत्नी हरिराम
2. कविता देवी पत्नी मुकेश

समस्त जाति गुर्जर निवासी ग्राम चांदपुरी तहसील नारायणपुर, जिला अलवर।

3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नारायणपुर, जिला अलवर।

–रेस्पोडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर दिनांक 03.07.2023 मु0नं0 03/2009 उनवानी कल्ली देवी बनाम सोहनलाल वगै0 धारा 128 एल.आर.एक्ट पर पारित किया गया है।

उपस्थित :–

1. श्री राजाराम चौधरी, वकील अपीलान्ट्स।
2. श्री शम्भूदयाल पुजारी, वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. रेस्पोडेन्ट संख्या 3 की ओर से राजकीय अधिवक्ता, उपस्थित।

निर्णय

दिनांक–31.01.2025

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर के निर्णय दिनांक 03.07.2023 के खिलाफ प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर के समक्ष एक

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु इस आशय का पेश किया गया कि खाता संख्या 257 आराजी खसरा नम्बर 825/157 रकबा 0.85 है0, 827/159 रकबा 1.23 है0, 829/168 रकबा 0.11 है0 कुल किता 03 रकबा 2.19 है0 भूमि वाके ग्राम चांदपुरी, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर राज. में स्थित है। जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर द्वारा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 का पत्थरगढी प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नारायणपुर, जिला अलवर को आदेश दिये गये कि विवादित खाता संख्या 257 आराजी खसरा नम्बर 825/157 रकबा 0.85 है0, 827/159 रकबा 1.23 है0, 829/168 रकबा 0.11 है0 कुल किता 03 रकबा 2.19 है0 भूमि वाके ग्राम चांदपुरी, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर की पत्थरगढ़ी किये जाने के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2023 पारित किये गये हैं ।

3. उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर के उक्त निर्णय दिनांक 03.07.2023 से व्यथित होकर अपीलान्ट्स अमीचन्द पुत्र श्री जयमल वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर दिनांक 03.07.2023 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोडेन्ट की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

5. अपीलान्ट्स के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने विवाद के वास्तविक मुद्दे को समझे बिना ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विधि की सुस्थापित व्यवस्था है कि किसी भी आदेश को पारित करने से पूर्व उसमें प्रभावित पक्षकारों को पक्ष समर्थन एवं सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात ही आदेश पारित किया जाना आवश्यक है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पक्षकारों को सुने बिना ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त किये जाने योग्य हैं। रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी खातेदारी की भूमि की आड में खसरा नम्बर 1 खाता संख्या 154 आम रास्ते की भूमि तथा खसरा नम्बर 160 चारागाह में बने बच्चों को दफनाने हेतु शमशान पर अवैध कब्जा करने की नियत से अपीलाधीन आदेश पारित करवा लिया, जिसे निरस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं। विधि अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व सीमाज्ञान रिपोर्ट समस्त पडौसी खातेदारों की उपस्थिति में तैयार किया जाना आवश्यक हैं। प्रस्तुत प्रकरण में एकतरफा सीमाज्ञान रिपोर्ट तैयार की गई है, जिस पर किसी भी पडौसी खातेदार के हस्ताक्षर नहीं हैं। ऐसी एकतरफा रिपोर्ट से अपीलार्थी प्रतिबंधित नहीं होने के पश्चात भी अपीलाधीन निर्णय पारित किया है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुतकर्तागण का अपीलाधीन भूमि विवादग्रस्त पर कब्जा काश्त नहीं हैं। कब्जा करने की नियत से पत्थरगढी हेतु आवेदन प्रस्तुत किया हैं। पत्थरगढी के आदेश की आड में जबरन पुलिस प्रशासन की सहायता से कब्जा काश्त करना चाहते हैं। इसलिये भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। विधि अनुसार पत्थरगढी हेतु आवेदन प्रस्तुत करते समय चारों दिशाओं के पडौसी खातेदार काश्तकारों को पक्षकार संयोजित कर आवेदन प्रस्तुत करना आवश्यक हैं। प्रस्तुत प्रकरण में तो किसी भी पडौसी खातेदार को पक्षकार कायम नहीं किये जाने से एवं अपीलाधीन भूमि के रिकार्डेड खातेदारों को भी पक्षकार कायम नही किये जाने की वजह से भी अपीलाधीन आदेश निरस्त किये जाने योग्य हैं। अतः अपील पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर दिनांक 03.07.2023 निरस्त फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02 के अधिवक्ता ने दौराने बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि रेस्पोडेन्ट नं. 01 व 02 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 एल.आर.एक्ट बाबत पत्थरगढी कराने हेतु पेश किया था। जिसमें अपीलार्थीगण अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पक्षकार रहे है, जिन्हे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विधिवत रूप से तलबी नोटिस जारी किये गये है। खाता संख्या 257 आराजी खसरा नम्बर 825/157

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
अलवर

रकबा 0.85 है0, 827/159 रकबा 1.23 है0, 829/168 रकबा 0.11 है0 कुल किता 03 रकबा 2.19 है0 भूमि वाके ग्राम चांदपुरी, तहसील नारायणपुर, जिला अलवर राज. में स्थित है, जो रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात है। जिस पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है और प्रत्येक खातेदार काश्तकार अपनी आराजीयात व फसल की पशुओं से सुरक्षार्थ आदि के लिये सीमाज्ञान, पत्थरगढी इत्यादि करवाने का कानूनन हक, अधिकार प्रदत्त है। उन्होनें यह भी कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए ही केवल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की आराजी की ही पत्थरगढी के अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2023 पारित किये गये। जिसके सम्बन्ध में अपीलार्थी को किसी प्रकार के उज्रात करने का कानूनी हक अधिकार प्रदत्त नहीं है बल्कि अपीलार्थीगण रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 को बैजा हैरान परेशान करने के उद्देश्य से न्यायालय श्रीमान् के समक्ष अपील पेश की गई है जो खारिज योग्य है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज फरमाई जावें।

7. रेस्पोडेन्ट संख्या 03 की ओर से राजकीय अधिवक्ता ने दौरान बहस अपील का विरोध करते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर द्वारा विधिक प्रावधानों के अनुसार ही अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.07.2023 पारित किया गया है, जो उचित एवं विधिसम्यक है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

8. हमने प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन किया। प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया एवं पक्षकारों के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट्स अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित पक्षकार है जिसको सुनवायी व सबूत का अवसर दिये बिना आदेश पारित किया गया है। प्रकरण पत्थरगढी से संबधित है। जिसमें पडौसी सहखातेदारों को सुनवाई एवं साक्ष्य, सबूत तथा दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत पूर्ण अवसर दिया जाना पत्रावली के अवलोकन से विदित नहीं होता है। प्रकरण में कोई समरी जॉच भी नहीं की गई है। अपीलार्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत ऑनलाईन राजस्व नक्शे की प्रति में दर्शित खसरा सीमा तथा सीमाज्ञान में दर्शित की गई खसरा सीमा में भिन्नता है। उक्त के आलोक में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.07.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व नक्शे के अनुसार उभय पक्षकारान की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाया जाकर समरी जॉच पश्चात् उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

<u>अतः आदेश है</u> कि अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर का अपीलाधीन निर्णय दिनांक 03.07.2023 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नारायणपुर, जिला अलवर हाल जिला कोटपूतली–बहरोड को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि राजस्व नक्शे के अनुसार उभय पक्षकारान की मौजूदगी में सीमाज्ञान करवाया जाकर समरी जॉच पश्चात् उभय पक्षकारान को साक्ष्य, सबूत, दस्तावेजात प्रस्तुत करने बाबत युक्तियुक्त अवसर प्रदान किया जाकर प्रकरण में पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

(डॉ. प्रवीण कुमार)
अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर

निर्णय दिनांक 31.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अति. संभागीय आयुक्त
जयपुर